



2026:AHC-LKO:20029-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-ए संख्या - 2988 वर्ष 2026**

शिवम यादव

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग

लखनऊ एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: श्वेता श्रीवास्तव, झनक भवनानी,

नेहा धनवानी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता, शिखर आनंद

न्यायालय संख्या-1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय**

1. इस याचिका के माध्यम से, दावा याचिका संख्या 1363 वर्ष 2025 (शिवम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(एतदपश्चात् "अधिकरण" संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 06.08.2025 के आदेश को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याची को दिनांक 13.01.2020 के आदेश द्वारा निंदा का लघु दंड प्रदान किया गया, जिसके विरुद्ध उसने अपील प्रस्तुत की, जिसका निर्णय 02.05.2020 को किया गया। व्यथित होकर, उसने उक्त आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय 02.11.2020 को किया गया।

3. तथापि, उक्त आदेशों को चुनौती देने के स्थान पर, यहाँ के याचिकाकर्ता ने उक्त आदेशों के विरुद्ध दिनांक 03.01.2021 को राज्य सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, सम्भवतः इस धारणा के अधीन कि वह उ०प्र० पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 (एतदपश्चात् "नियमावली, 1991" संदर्भित) के नियम 25 के अधीन पोषणीय था, इस तथ्य से अनभिज्ञ कि नियम 25 के अधीन उपचार एक सशर्त उपचार है जो केवल तब उपलब्ध होता है जब उक्त नियमावली, 1991 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो, जबकि वर्तमान प्रकरण में न केवल एक अपील बल्कि एक पुनरीक्षण भी उसी नियमावली, 1991 के अधीन, अर्थात् उसके नियम 20 तथा 23 के अधीन, प्रस्तुत किया गया था। अतएव, स्पष्ट रूप से, नियमावली, 1991 के नियम 25 के अधीन उपचार उपलब्ध नहीं था।

4. उपर्युक्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने दण्डादेश, अपीलीय आदेश तथा पुनरीक्षण आदेश को चुनौती देते हुए दावा वाद संख्या 1046 वर्ष 2023 प्रस्तुत किया, तथापि, चूँकि उपर्युक्त प्रत्यावेदन लंबित था, अधिकरण ने उक्त दावा वाद का निस्तारण दिनांक 23.05.2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को उसी का निस्तारण करने के निर्देश के साथ किया। अधिकरण ने परिसीमा के प्रश्न में प्रविष्ट हुए बिना तथा नियमावली, 1991 के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियम 25 के उपबंधों पर विचार किए बिना इस प्रकार का निर्देश जारी करने में स्पष्टतः त्रुटि की।

5. उक्त दावा वाद स्वयं ही परिसीमा द्वारा बाधित था, जिसकी अवधि एक वर्ष है, जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट है। परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों पर उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे वे वाद पर लागू होते हैं; अतएव, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के आवेदन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था।

6. अब, इस आदेश का लाभ उठाते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह कथन किया कि एक बार निर्देश जारी कर दिया गया तथा दिनांक 12.03.2024 को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय ले लिया गया, तब याचिकाकर्ता अधिकरण के समक्ष दावा वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी था, जो उसने किया और जिसे दावा वाद संख्या 1363 वर्ष 2025 के रूप में अंकित किया गया। अतएव, उक्त दावा वाद को परिसीमा द्वारा बाधित मानते हुए निरस्त करने में अधिकरण ने त्रुटि की है।

7. तथापि, उक्त कथन ग्राह्य नहीं है, कारण यह है कि प्रथम दावा वाद प्रत्यक्षतः परिसीमा द्वारा बाधित था, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है। द्वितीयतः, एक बार पुनरीक्षण का निर्णय दिनांक 02.11.2020 को हो जाने पर, वही नियमावली, 1991 के अधीन अनुमन्य अंतिम उपचार था तथा याचिकाकर्ता के लिए कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं था, अतः परिसीमा का प्रवर्तन उस समय से प्रारम्भ हो गया जब याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण में पारित दिनांक 02.11.2020 के उक्त आदेश का ज्ञान हुआ और ऐसा ज्ञान उसे दिनांक 03.01.2021 से पूर्व प्राप्त हो चुका था, क्योंकि उसने उसके विरुद्ध, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। यदि ऐसा है, तो उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देने हेतु दावा वाद प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा दावा वाद संख्या 1363 वर्ष 2025 के प्रस्तुत किए जाने से बहुत पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. जैसा कि पूर्व में ही कथित है, परिसीमा उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार वह वाद पर लागू होती है; अतः, दावा वाद स्पष्टतः परिसीमा द्वारा बाधित था, विशेषकर क्योंकि एक बार परिसीमा का प्रवर्तन प्रारम्भ हो जाने पर वह रुकता नहीं है। हमारे समक्ष ऐसा कोई अन्य आधार प्रदर्शित नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वर्तमान प्रकरण जैसे मामले में परिसीमा का विस्तार किस प्रकार किया जा सकता था। अधिकरण को दावा वाद को निरस्त करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता को दिनांक 23.05.2023 के आदेश का कोई लाभ उपलब्ध नहीं है। अन्यथा भी, यदि किसी भी प्रकार की कल्पना द्वारा, उपर्युक्त संदर्भित प्रत्यावेदन पर पारित दिनांक 12.03.2024 के आदेश को नियमावली, 1991 के अधीन अनुमन्य माना भी जाए, तब भी दावा वाद अगस्त, 2025 में प्रस्तुत किया गया था। अतएव, उस तिथि से भी, दावा वाद परिसीमा के भीतर नहीं था। यह विशेषतः इसलिए है क्योंकि दिनांक 12.03.2024 को प्रत्यावेदन का निर्णय करते समय राज्य सरकार ने यह उल्लेख किया है कि उक्त प्रत्यावेदन नियम 25 में उल्लिखित शर्त के दृष्टिगत पोषणीय नहीं था। अतएव, यह और भी अधिक कारण है कि ऐसे आदेश का कोई लाभ याचिकाकर्ता को दावा वाद प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा की गणना करते समय प्रदान नहीं किया जा सकता था, जिसे अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

9. किसी भी स्थिति में, दावा वाद पोषणीय न होने के कारण, अधिकरण ने उसे यथोचित रूप से निरस्त किया है।

10. रिट याचिका गुण से रहित है और **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन
रॉय)

19 मार्च, 2026

शुभंकर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।